उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-72/1685/एक-1-2015-5(25)/2015

लखनऊ: दिनाँक: 07 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	दनकौर	नामोली	5	0.093	औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					9	0.008	
3					14	0.035	
4					16	0.009	
5					18	0.022	
6					20	0.029	
7					26	0.185	
8					27	0.040	
9					32	0.042	
10					35	0.019	
11					36	0.449	
12					39	0.132	
13					45	0.092	
14					46	0.209	
15					55	0.156	
16					61	0.014	

shasnadesh.up.nic.in

17					62	0.031	
18					71	0.019	
19					72	0.169	
20					75	0.579	
21					82	0.018	
22					85	0.109	
23					86	0.248	
24					89	0.064	
25					99	0.001	
26					100	0.593	
27					103	0.006	
28					107	0.164	
29					110	0.068	
30					114	0.126	
31					115	0.018	
32					119	0.044	
33					126	0.198	
34					127	0.066	
35					134	0.181	
36					135	0.076	
37					137	0.057	
38					148	0.479	
39					152	0.025	
40					154	0.087	
41					159	0.038	
42					160	0.051	
43					163	0.754	
44					167	0.137	
45					170	0.152	
46					171	0.228	
47					173	0.100	
48					37/198	0.007	

shasnadesh.up.nic.in

-3-

49					144/199	0.031	
				योग	**कुल 49 गाटा**	**6.458 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1685(1)/एक-1-2015-5(25)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र संख्या-1063/डीएलआरसी/पुनर्ग्रहण-2006-2007, दिनाँक 22.12.2006 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनाँक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

3. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के व्यापक जनहित को द्रष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- चकरोड, मुख्य मार्ग रास्ता व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि चकरोड, मुख्य मार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ही ग्रामवासियों के आवागमन एवं नाली के माध्यम से हो रहे पानी के नैसर्गिक बहाव एवं सिंचाई की व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। ग्राम सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण केवल ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी योजना/कार्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

shasnadesh.up.nic.in

-4-

4. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1685(2)/एक-1-2015-5(25)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4- विशेष कार्याधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in